सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **353/2017** दायर दिनाँक **12.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मेघाराम पुत्र रामकरणराम, उम्र—38साल, जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पूर्णाराम पुत्र अरजनराम, उम्र—74साल, जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. सुखाराम पुत्र भूराराम, उम्र—64साल, 3. मोहनराम पुत्र भूराराम, उम्र—58साल, 4. तिलोकाराम पुत्र भूराराम, उम्र—56साल, 5. छोटूराम पुत्र भूराराम, उम्र—54साल, 6. सुगनाराम पुत्र भूराराम, उम्र—52साल, 7. आईदानराम पुत्र भूराराम, उम्र—50साल, 8. सालगराम पुत्र भूराराम, उम्र—46साल, 9. प्रहलादराम पुत्र भूराराम, उम्र—40साल, 10. जेतीदेवी पुत्री भूराराम, उम्र—60साल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 11. घींसूखाँ पुत्र मंगतुखाँ, 12. अजीजखाँ पुत्र मंगतुखाँ, 13. सबीरखाँ पुत्र मंगतुखाँ, 14. आमीनाबानो पुत्री मंगतुखाँ, 15. बाबुखाँ पुत्र जोमरदीनखाँ, 16. सलीम पुत्र रमजान, 17. सुल्तान पुत्र रमजान, समस्त,जाति—मुसलमान, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 18. श्रीराम पुत्र अमराराम, 19. हरजीराम पुत्र रामुराम, समस्त,जाति—जाट,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. एस.बी.आई. बैंक, शाखा–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **05.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोककुमार भाकर, वकील, वादी व श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 06, 08 ता 10, 14, 15, 18 व 19 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद कोलिया में खेत खसरा नम्बर 335 रकबा 45.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 35.07 बीघा, खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 20.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 341 रकबा 20.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 1039 रकबा 02.04 बीघा, कुल रकबा 124. 01 बीघा में से हिस्सा 1/3 भाग का वादी को व हिस्सा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 17 को तथा हिस्सा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 18 व 19 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.02.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **353/2017** दायर दिनाँक **12.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मेघाराम पुत्र रामकरणराम, उम्र—38साल, जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पूर्णाराम पुत्र अरजनराम, उम्र—74साल, जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. सुखाराम पुत्र भूराराम, उम्र—64साल, 3. मोहनराम पुत्र भूराराम, उम्र—58साल, 4. तिलोकाराम पुत्र भूराराम, उम्र—56साल, 5. छोटूराम पुत्र भूराराम, उम्र—54साल, 6. सुगनाराम पुत्र भूराराम, उम्र—52साल, 7. आईदानराम पुत्र भूराराम, उम्र—50साल, 8. सालगराम पुत्र भूराराम, उम्र—46साल, 9. प्रहलादराम पुत्र भूराराम, उम्र—40साल, 10. जेतीदेवी पुत्री भूराराम, उम्र—60साल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 11. घींसूखाँ पुत्र मंगतुखाँ, 12. अजीजखाँ पुत्र मंगतुखाँ, 13. सबीरखाँ पुत्र मंगतुखाँ, 14. आमीनाबानो पुत्री मंगतुखाँ, 15. बाबुखाँ पुत्र जोमरदीनखाँ, 16. सलीम पुत्र रमजान, 17. सुल्तान पुत्र रमजान, समस्त,जाति—मुसलमान, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 18. श्रीराम पुत्र अमराराम, 19. हरजीराम पुत्र रामुराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—कोलिया,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–353 / 2017
दायर दिनाँक 12.12.2017, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
मेघाराम बनाम् पूर्णाराम, वगैरा।

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. एस.बी.आई. बैंक, शाखा–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री अशोककुमार भाकर, वकील, वादी।
2. श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 06, 08 ता 10, 14, 15, 18 व 19 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.02.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 335 रकबा 45.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 35.07 बीघा, खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 20.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 341 रकबा 20.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 1039 रकबा 02.04 बीघा, कुल रकबा 124.01 बीघा वाकै शरहद कोलिया में अवस्थित है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का 1/3 हिस्सा दर्ज है, उक्त पैतृक जायगा बन्टवारा में आया हुआ है। उक्त खसरान् की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का हिस्सा नहीं बनता है इनका हिस्सा ग्राम चौमू के खसरा नम्बर 196 रकबा 40.13 बीघा खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 20.19 बीघा कुल रकबा 61.12 बीघा में आया हुआ है। वाद वर्णित वंशवृक्ष में जेठा पुत्र मोटाराम का नाम दर्शाया गया है जिनका उक्त खसरान् की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि इनके वारिशान् को ग्राम तीतरी तहसील लाडनूँ में स्थित भूमि में जेठा पुत्र मोटाराम के वारिशान् के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है। नकल पेश है।

उक्त जायगा में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त सम्पूर्ण जायगा में से 1/3 हिस्सा केवल वादी का घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 19 उक्त सम्पूर्ण जायगा के 1/3 – 1/3 हिस्से में काबिज है व उसी अनुसार कब्जाकाश्त करते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 19 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है उनको केवल सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। खतौनी में भँवरी बानो पत्नी मंगतुखाँ का नाम दर्ज हो रखा है लेकिन भँवरीबानो फौत होने के कारण उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी / प्रशासक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–353 / 2017
दायर दिनाँक 12.12.2017, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
मेघाराम बनाम् पूर्णाराम, वगैरा।

प्रतिवादीगण द्वारा खतौनी की लेने, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने तथा वादी व प्रतिवादीगण के बीच बन्टवारा नहीं होने के कारण विवाद होने से, वादी को यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादी संख्या 21 तहसीलदार डीडवाना लैण्ड होल्डर होने के कारण से उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा भूमि रहन रखी होने से प्रतिवादी संख्या 20 को पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण की धमकी देने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद कोलिया में खेत खसरा नम्बर 335 रकबा 45.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 35.07 बीघा, खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 20.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 341 रकबा 20.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 1039 रकबा 02.04 बीघा, कुल रकबा 124.01 बीघा में वादी के 1/3 हिस्सा रकबा 41.07. बीघा तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 19 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से वादी के 1/3 हिस्से में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा कर केवल वादी का नाम दर्ज किया जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03, 07, 11 ता 13, 16, 17, 20 व 21 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 06, 08 ता 10, 18 व 19 बीच राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारात् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अशोककुमार भाकर ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री हरफूल राव ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान् दावानुसार डिक्री चाहते हैं।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी ग्राम कोलिया सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 277/252 में प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुलाय पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। वकुलाय पक्षकारान् राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमत है। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय राजीनाम पेश कर उसी अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं। वाद किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–353/2017
दायर दिनाँक 12.12.2017, निणर्य दिनाँक 05.02.2018
मेघाराम बनाम् पूर्णाराम, वगैरा।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद कोलिया में खेत खसरा नम्बर 335 रकबा 45.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 336 रकवा 35.07 बीघा, खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 20.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 341 रकबा 20.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 1039 रकबा 02.04 बीघा, कुल रकबा 124.01 बीघा में से हिस्सा 1/3 भाग का वादी को व हिस्सा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 17 को तथा हिस्सा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 18 व 19 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner